न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 242/2024 तारीख रजू:— 26.12.2024

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	कृष्णानन्द पुत्र स्व0 रूपसिंह	समस्त जाति मीना
2.	आशीष पुत्र स्व0 रूपसिंह	निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन
3.	खेलन्ती पुत्री स्व0 रूपसिंह	जिला करौली राजस्थान
4.	रेखन्ती पुत्री स्व0 रूपसिंह	
5.	सरूपी बेबा स्व0 रूपसिंह	———————— सायलान

बनाम

1.	रामगिलास पुत्र लक्ष्मीनारायण	समस्त जाति मीना निवासी कोटरी
2.	सुआ पुत्र लक्ष्मीनारायण	तहसील हिण्डौन जिला करौली
3.	बाबू पुत्र तुलसीराम	राजस्थान ————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री विजेन्द्रसिंह गुर्जर एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :—23.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है. जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि भूमि खाता संख्या नया 10 के खसरा नम्बर 973/1 रकवा 0.91 हैक्टेयर वाके ग्राम मीनादांत का पुरा,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसील हिण्डौनसिटी में स्थित है, जिसमें सायलान 1/5–1/5 हिस्से के खातेदार हैं तथा उक्त भूमि पर बजमाने बुजुर्गान काबिज व दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सायल संख्या 01 लगायत 04 के पिता व सायल नम्बर 05 के पति रूपसिंह का देहान्त हो चुका है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी सायल संख्या 05 के कंधों पर ही आ गई। रूपसिंह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर सायलान ही वहैसियत खातेदार काबिज व दखील हैं। उक्त आराजी से गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायलान वर्षों से वहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे हैं और यह क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। उक्त आराजी के पास गैरसायलान की भूमि भी नहीं है और उक्त आराजी से गैरसायलान का कोई सम्बंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है, बावजूद इसके गैरसायलान की मंशा नाजायज रूप से सायलान की जमीन को हड़पने की रहती है और इसी उद्देश्य से वे सायलान की खातेदारी की भूमि पर पत्थर आदि डालकर आए दिन सायलान को हैरान व परेशान करते रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 15.12.2024 को सुबह 8 बजे का है कि सायलान अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि की देखभाल कर रहे थे। इतने में ही गैरसायलान मौके पर आए और सायलान से गाली–गलौज करते हुए कहने लगे कि इस जमीन पर तुम क्यों आए हो, इस पर हम जबरदस्ती कब्जा करेंगे, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे हाथ–पैर तोड़ देंगे। इस पर सायलान ने कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी की है तथा इस पर हम बजमाने बुजुर्गान काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, तुम्हारा इस जमीन से कोई लेनादेना नहीं है। इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये और सायलान से झगड़ा करने पर उतारू होते हुए ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारी इस जमीन पर हम जबरन कब्जा करके रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुझसे बने सो कर लेना। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायलान बखिलाफ गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र सायलान की कब्जे एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 973/1 स्थित ग्राम मीनादांत का पुरा, तहसील हिण्डौन से सायलान को जबरन ना तो स्वयं बेदखल कर कब्जा करें और ना ही किसी अन्य के द्वारा करावें। सायलान को उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान किसी प्रकार ना तो स्वयं पैदा करें और ना ही किसी अन्य के द्वारा करावें तथा सायलान को उनकी कब्जे व खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग करने देवें तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें कि जिससे सायलान की उक्त आराजी के हकहकूक व अधिकार में कोई मजाहमत मदाखलत पैदा हो, मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.05.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 पेश की हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विवादित आराजी खसरा नम्बर 973/1 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम मीनादांत का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी नाबालिग आशीष पुत्र रूपसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता सरूपी हि0 1/5, कृष्णानन्द पुत्र रूपसिंह हि0 1/5, नाबालिग खेलन्ती पुत्री रूपसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता सरूपी हि0 1/5, नाबालिग रेखन्ती पुत्री रूपसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता सरूपी हि0 1/5, सरूपी पत्नि रूपसिंह हि0 1/5 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 973/1 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम मीनादांत का पुरा तहसील हिण्डौन के सायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध या बास्ता किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायलान ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान के द्वारा सायलान की उक्त भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 973/1 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम मीनादांत का पुरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली